

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में जजुराली से शहीद किशन सिंह के गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में जजुराली से शहीद किशन सिंह के गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.36 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.35 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.71 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक _____ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री अनुराग आर्य	उपजिलाधिकारी	पिथौरागढ़	अध्यक्ष
2-	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव	उप प्रभागीय वनाधिकारी		सदस्य
3-	श्री दीपक आर्य	सहायक समाज कल्याण अधिकारी		सदस्य / सचिव
4-	श्री शंकर राम	बी०डी०सी० क्षेत्र		सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ में जजुराली से शहीद किशन सिंह के गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। परियोजना हेतु 1.71 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में जजुराली से शहीद किशन सिंह के गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 1.71 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील-पिथौरागढ़ (विण), अधिकारी
पिथौरागढ़
जनपद-पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-पिथौरागढ़ (विण)
जनपद-पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- पिथौरागढ़ में जजुराली से शहीद किशन सिंह के गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जजुराली
तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ में जजुराली से शहीद किशन सिंह के गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।
(0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.36 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.35 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.71 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जजुराली द्वारा दिनांक 14-09-14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है । * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जजुराली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत मुहर सहित अधिकारी
क्षेत्र जजुराली
वि० ख० पिथौरागढ़ (वि०)

ह०/-
सचिव
पिथौरागढ़
जिला पंचायत जजुराली
वि० ख० पिथौरागढ़

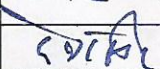
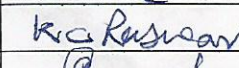
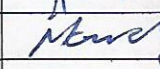
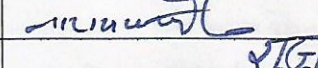
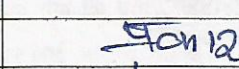
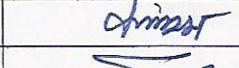
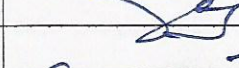
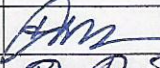
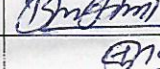
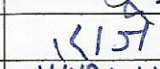
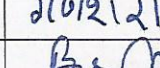
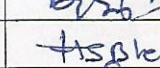
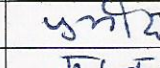
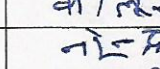
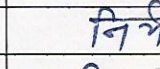
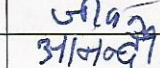
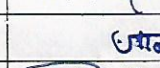
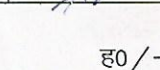
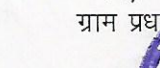
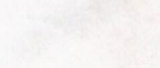
ह०/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित



प्रारूप-30.4

दिनांक: 11/11/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जजुराली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	रेखा अडारी w/o सुरेन्द्र सिंह	
2-	मोहन राम S/o दिवानी राम	
3-	देव सिंह S/o हिमंत सिंह	
4-	क्रान्ति चन्द S/o लाली चन्द	
5-	इन्द्र सिंह S/o तेज सिंह	
6-	पुष्कर सिंह S/o गभीर सिंह	
7-	नरेन्द्र सिंह S/o प्रताप सिंह	
8-	नारायण सिंह S/o दान सिंह	
9-	राजा राम S/o मनी राम	
10-	प्रकाश सिंह S/o मान सिंह	
11-	बन्नी राम S/o लालू राम	
12-	शिव सिंह S/o जोगा सिंह	
13-	चन्द सिंह S/o हरी सिंह	
14-	हरीश सिंह S/o भगवान सिंह	
15-	बसन्त कुमार S/o बन्नी राम	
16-	सुरेन्द्र सिंह S/o हरी सिंह	
17-	राजेन्द्र सिंह S/o केशर सिंह	
18-	गणेश राम S/o रत्न राम	
19-	नरेन्द्र सिंह S/o फकीर सिंह	
20-	होशियार सिंह S/o भवान सिंह	
21-	प्रभाय सिंह S/o राजीत सिंह	
22-	कालू राम S/o शेर राम	
23-	नरेन्द्र कुमार S/o रमेश राम	
24-	निर्मला देवी w/o शंकर राम	
25-	जीवन चन्द S/o हरी चन्द	
26-	आनन्दी देवी w/o कुशल सिंह	
27-	जानकी देवी w/o प्रेम राम	
28-	राजेन्द्र सिंह S/o लक्ष्मण सिंह	
29-	राजेन्द्र सिंह S/o भवान सिंह	
30-	देवराज सिंह S/o गोविन्द सिंह	

ह0/-
ग्राम प्रधान

